

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा म0प्र0

।। वाहन नीलाम विज्ञप्ति।।

कमांक 638/नजा0अनु0/2023

हरदा, दिनांक 01/12/2023

सर्वसाधारण को इस निलामी विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा के आधिपत्य के अनुपयोगी शासकीय वाहन TATA INDIGO GLX कमांक-MP-02-AV-2999 (जहां है, जैसी स्थिति में है) को निष्प्रयोजित राशि-47,000/- (शब्दों में-सैंतालिस हजार रुपये मात्र) में दिनांक 16/12/2023 को प्रातः 11:00 बजे खुली नीलामी के माध्यम से नीलाम किया जाना है।

उक्त खुली नीलामी में राशि-1,000/- (शब्दों में-एक हजार रुपये मात्र) अमानत राशि के रूप में जमा कर, भाग लिया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार वाहन की खुली नीलामी हेतु शर्तें निम्नानुसार है :-

!! नीलामी की शर्तें !!

1. शासकीय वाहन TATA INDIGO GLX कमांक-MP-02-AV-2999 की न्यूनतम ऑफसेट वेल्यू रुपये-47,000/- शब्दों में-सैंतालिस हजार रुपये, (शासकीय बोली) नियत है।
2. उक्त अनुपयोगी/अपलेखित शासकीय वाहन की नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने हेतु अमानत राशि रुपये-1,000/- (रुपये-एक हजार मात्र) को एक दिवस पूर्व तक, जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, हरदा के समक्ष जमा किये जाने के उपरांत ही नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने की पात्रता होगी।
3. वाहन जिस स्थिति में है उसी स्थिति में दिया जायेगा।
4. अमानत राशि, नीलामी की समाप्ति पर, असफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को वापस लौटाई जावेगी तथा सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को उनके द्वारा लगायी गई बोली/स्वीकृत की गई पूरी राशि जमा करने के पश्चात लौटाई जावेगी।
5. सक्षम अधिकारी को किसी भी बोली को बिना कारण बताये, पूर्ण रूप से स्वीकार करने/अस्वीकार करने/आंशिक रूप से स्वीकार करने/निरस्त करने तथा प्राप्त कम/अधिकतम बोली की राशि को स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार सर्वथा "नीलाम समिति" कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा को प्राप्त होगा।

6. नीलामी में बोली या विवाद की स्थिति में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
7. अधिकतम बोली राशि की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात अनुपयोगी शासकीय वाहन को क्रेता को प्रदान किया जावेगा।
8. अधिकतम बोलीकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के पश्चात 07 दिवस के अंदर बोली की सम्पूर्ण राशि का बैंक ड्रॉफ्ट जो "प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा" के नाम से देय हो, जमा करवाकर वाहन को स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा अन्यथा अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।
9. संबंधित वाहन जिला न्यायालय परिसर हरदा में उपलब्ध है, के भौतिक निरीक्षण हेतु जिला नाजिर/नायब नाजिर से कार्यालयीन दिनांक/समय में सम्पर्क किया जा सकता है।
10. बोलीकर्ताओं द्वारा नीलामी में उपस्थित होकर वाहन को क़य करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में, नीलाम संबंधी सम्पूर्ण शर्तें स्वीकार कर ली गई हैं, ऐसा माना जावेगा।
11. अनुपयोगी शासकीय वाहन, विक्रय के पश्चात् कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी करने पर, उक्त शासकीय वाहन का नियमानुसार शासकीय पंजीयन विलोपित करने एवं क्रेता के नाम से पंजीयन एवं बीमा कराये जाने अथवा परिवहन विभाग के नियमानुसार कार्यवाही की सम्पूर्ण जवाबदारी क्रेता की होगी।
12. वाहन क्रमांक, चैचिस नंबर, इंजन नंबर, निविदाकार नीलामी स्थान पर ही मिलान कर लेवे। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति क़य संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत मान्य नहीं की जावेगी।
13. उपरोक्त नियमों की शर्तों का शिथिलीकरण स्थापना पर गठित वाहन नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
14. वाहन की नीलामी की कार्यवाही कार्यालय समय 11.00 बजे से सायंकाल 05.00 बजे तक की जावेगी।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म.प्र.)

//3//

638 (1608)

पृष्ठांकन क्रमांक /नजा0अनु0/2023

हरदा, दिनांक 01/12/2023

प्रतिलिपि :-

1. माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर टेंडर पोर्टल पर उपरोक्त विज्ञप्ति प्रारूप अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
2. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा, बाणगंगा रोड, भोपाल की ओर राज्य/स्थानीय समाचार पत्रों में उपरोक्त विज्ञप्ति निशुल्क प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित।
3. जिला नाजिर, नजारत अनुभाग हरदा की ओर उक्त विज्ञप्ति कार्यालय कलेक्टर हरदा एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय हरदा के सूचना पटल पर एवं सार्वजनिक स्थान जैसे :-नगर पालिका, बस स्टेंड, रेलवे स्टेशन हरदा तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चशपा किये जाने हेतु प्रेषित।

Sham

-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म.प्र.)

SR